



दिशानिदेश एवं निदेश

“टी मार्क” प्रमाणन

आवेदक को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल- <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन जमा करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों/ सूचना के साथ पूरी तरह से पूर्ण आवेदन के लिए दिशानिदेशों/निदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

नए और नवीनीकरण आवेदन के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज़:

1. आवेदन फॉर्म, जिस पर मालिक/साझेदार/ निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, तिथि एवं मुहर लगी हो।
2. टीएमसीओ प्रमाणपत्र
3. लघु चाय उत्पादक आवेदक/सदस्य का क्यूआर कोड कार्ड
4. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5. एफएसएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र

नए आवेदन और नवीनीकरण टी मार्क माणपत्र के लिए ₹1,000 (साथ में जीएसटी) की आवेदन शुल्क का भुगतान <https://onlineapps.teaboard.gov.in> पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

बैचवार अनुमति के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज़:

1. आवेदन फॉर्म, जिस पर मालिक/साझेदार/ निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, तिथि एवं मुहर लगी

नए आवेदन और नवीनीकरण टी मार्क माणपत्र के लिए ₹5,400 (साथ में जीएसटी) की आवेदन शुल्क का भुगतान <https://onlineapps.teaboard.gov.in> पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।